ई-मेल / अपलोड

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ. 2(10) खा.वि./स्था.प्र./1995/01072 जयपुर, दिनांक हस्ताक्षरित

स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश

श्री तेज सिंह मेड़तिया, जिला रसद अधिकारी, जिनकी जन्मतिथि 05.07.1966 व राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.03.1995 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2025 द्वारा राज्य सेवा से दिनांक 31.01.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही गई है|

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (3-बी) के अंतर्गत श्री तेज सिंह मेड़तिया की स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 31.01.2026 से स्वीकृत की जाती है|

वित्त विभाग (नियम) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6) वित्त/ नियम/2008, दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है है कि श्री तेज सिंह मेड़तिया, जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अभिलेखानुसार आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है|

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है|

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर|
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर|
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर|
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर|
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर|
6. जिला रसद अधिकारी, धौलपुर|
7. श्री तेज सिंह मेड़तिया, जिला रसद अधिकारी|
8. विभागीय जांच शाखा / गोपनीय प्रतिवेदन शाखा|
9. रक्षित पत्रिका|

Document certified by POONAM PRASAD SAGAR <AFCFOOD-RJ@NIC.IN>.

Digitally Signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date :27-10-2025 03:33:49

RajKaj Ref No.: 18416723

eSign DSC